प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.03.2023

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 21.03.2023 को वादी जामिर अली पुत्र मोहीउद्दीन निवासी दुल्हापुर पहाड़ी माफीपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की लड़की जाफरून उम्र 10 वर्ष ,पुत्र फूलबाबू उम्र 03 वर्ष तथा भतीजी नजीबुन उर्फ विस्तुइया उम्र करीब 08 वर्ष जो गाँव के खेत में सुबह शौच के लिये गये थे, वहीं विपक्षी नीरज अवस्थी पुत्र दिनेश अवस्थी उर्फ सलन अवस्थी निवासी कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा से किसी बात को लेकर गाली–गलौज होने लगी थी। जिसमें विपक्षी द्वारा प्रार्थी की भतीजी नजीबुन उर्फ विस्तुइया उपरोक्त के ऊपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार (हसिया) से प्रहार कर दिया गया था।। जिसमें प्रार्थी की भतीजी को गम्भीर चोटे आयी है। जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में पीड़िता नजीबुन उर्फ विस्तुइया के साथ किसी भी प्रकार की यौन शोषण जैसी घटना घटित होने का तथ्य नही पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नीरज अवस्थी पुत्र दिनेश अवस्थी उर्फ सलन अवस्थी निवासी कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–137/23, धारा 307,326 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 21.03.2023</u>

गैंगेस्टर ऐक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.03. 2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर ऐक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों–01. गंगाराम, 02. शिवनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से जमीन बैनामा करा दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. गंगाराम पुत्र रामदेव निवासी मुराइनपुरवा पूर्वी मौजा सेल्हरी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
02. शिवनाथ पुत्र रामकैलाश निवासी ग्राम मुराइनपुरवा पूर्वी मौजा सेल्हरी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–138/23 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. प्र0नि0 कटराबाजार मनोज कुमार राय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.03.2023

चोरी की मोटरसाइकिलों एवं अवैध चाकू के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के कुशल पर्यवेक्षण में महादेवा क्रासिंग के पास से थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना को0 नगर नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी करने के प्रकाश में आए अभियुक्तगण–01. राज कुमार चौबे उर्फ पप्पू चौबे, 02. ताने उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद मोटरसाईकिल व 02 अदद नाजायज चाकू के बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राज कुमार चौबे उर्फ पप्पू चौबे पुत्र केदार नाथ चौबे निवासी कलंदरपुर चौबे थाना कोतवाली नगर गोंडा।
02. ताने उर्फ सुल्तान पुत्र मोहम्मद इसराइल निवासी पोर्टल गंज थाना कोतवाली नगर गोंडा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–238/23 धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–239/23 धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 244/23 धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त राजकुमार का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 760/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गोंडा।
02. मु0अ0सं0 812/15 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गोंडा।
03. मु0अ0सं0 839/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गोंडा।
04. मु0अ0सं0 675/18 धारा 147,352,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गोंडा।

अभियुक्त ताने उर्फ सुल्तान का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–474/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–840/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस मय कूटरचित नम्बर प्लेट।
02. 01 अदद मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना मय कूटरचित नम्बर प्लेट।
03. 02 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।